

क्रम-संख्या—273



रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेंस नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेंस टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 अक्टूबर, 2001

आश्विन 14, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2444/सत्रह-दि-1-1(क)26/2001

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन)
अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2001)

(जैसा प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001
कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह 8 जून, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

राष्ट्रपति अधिनियम
संख्या 1 सन् 1996
की धारा 4 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

“(1) अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु अध्यक्ष या अन्य सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा।

(1-क) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य पर भी लागू होंगे, जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करते थे।

(1-ख) ऐसा अध्यक्ष या अन्य सदस्य, जिसने उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ऐसे प्रारम्भ पर इस रूप में पद पर नहीं रहेगा।”

निरसन और
अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिए आयोग के गठन और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1 सन् 1996) अधिनियमित किया गया है। यद्यपि उक्त अधिनियम में आयोग के गठन और उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि के उपबन्ध थे किन्तु उसमें उनकी अधिकतम आयु सीमा का, जब तक वे अपने-अपने पद धारण कर सकते थे, उपबन्ध नहीं था। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु षैसठ वर्ष नियत करने और यह व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय कि आयोग के ऐसे अध्यक्ष और सदस्य जो पहले से षैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, इस रूप में अपने पद पर बने न रहें।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 जून, 2001 को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 11
सन् 2001

No. 2444(2)/XVII-V-1—1(KA)26-2001

Dated Lucknow, October 6, 2001

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pichhra Varg Rajya Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 2001:—

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
(AMENDMENT) ACT, 2001

(U.P. ACT NO. 28 OF 2001)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Commission for Backward Classes Act, 1996.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2001.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on June 8, 2001.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996, hereinafter referred to as the principal Act, for sub-section (1) the following sub-sections shall be substituted, namely:—

Amendment of section 4 of President's Act no. 1 of 1996

“(1) The Chairman or every other Member shall hold office for a term of three years from the date he assumes office:

Provided that no Chairman or other Member shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years:

Provided further that the Chairman shall not be eligible for re-appointment as Member.

(1-A) The provisions of sub-section (1) as amended by the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2001 shall apply also to the Chairman and every other Member holding office immediately before the commencement of the said Act.

(1-B) The Chairman or other Member, who has attained the age of sixty-five years, on or before the commencement of the Act referred to in sub-section (1-A), shall cease to hold office as such on such commencement.”

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Commission for Backward Classes (Amendment) Ordinance, 2001 is hereby repealed.

U. P. Ordinance no. 11 of 2001

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996 (President's Act no. 1 of 1996) has been enacted to constitute a commission for the State of Uttar Pradesh for Backward Classes other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to provide for matters connected therewith or incidental thereto. The said Act though provided for the constitution of the Commission and the term of office of its Chairman and members but it did not provide their maximum age limit till when they could hold their respective offices. It was, therefore, decided to amend the said Act to fix the maximum age of the Chairman and the members of the said Commission as sixty-five years and to provide that the Chairman and other Members of the said commission, Who have already attained the age of sixty-five years shall cease to hold office as such.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative measure was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Ordinance, 2001 (U. P. Ordinance no. 11 of 2001) was promulgated by the Governor on June 8, 2001.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.